# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–545–औ0सं0/2020–1077/59

दिनांक : 20 फरवरी, 2020
अति आवश्यक/ई–मेल

1. प्रबन्ध निदेशक,
   पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल,
   वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं
   केस्को–कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र),
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
   विद्युत वितरण मण्डल।

**विषय :– विभिन्न श्रम/सेवा संगठनों की समस्याओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि विभिन्न श्रम एवं सेवा संगठनों द्वारा डिस्कॉम्स/क्षेत्रीय कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय स्तर की विभिन्न स्थानीय समस्याओं को कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन के समक्ष उठाया जाता रहा है, कर्मचारी संगठनों की माँगों/समस्याओं के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आहूत न होने के कारण समस्याओं के निदान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

कर्मचारी संगठनों की माँगों/समस्याओं के सम्बन्ध में प्रत्येक माह संगठन के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा उनके निराकरण करने सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–1/2019–2–ई0एम0/2019–क–4–2019 दिनांक 24 मई, 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि सेवा संगठनों द्वारा प्रस्तुत माँगों पर प्रत्येक माह मण्डल स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर एवं डिस्काम स्तर पर विभिन्न श्रम एवं सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाये तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आदेश का पालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–545–औ0सं0/2019 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/ लखनऊ/आगरा एवं महाप्रबन्धक (मा0सं0 एवं प्रशा0), केस्को–कानपुर।
4– समस्त श्रम एवं संगठनों को सूचनार्थ।/अधि0अभि0, वेब, उ0प्र0पा0का0लि0।

संलग्नक :– यथोपरि।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-1/2019-2-ई.एम./2019-का-4-2019

प्रेषक,

**अनूप चन्द्र पाण्डेय,**
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2019

विषय:- सेवा संवर्गो की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24.05.2012, 07.01.2013, 19.08.2013, 21.10.2013, 21.07.2015, 30.09.2015, 09.12.2015, 20.01.2016, 13.04.2016, 27.07.2016, 09.08.2018, 13.02.2019 एवं दिनांक 11.03.2019 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/ जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है और कर्मचारियों की समस्यायें निस्तारित नही हो पा रही हैं। कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक से समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करते हैं, फलस्परूप ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, उनके संबंध में भी उक्त स्तरों पर बैठकें करनी पड रही हैं, यह स्थिति उचित नही है।

अत: अपाको पुन: निम्नवत निर्देशित करने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिन मांगों को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, उन्हें समय से शासन को संदर्भित कर दिया जाय ।
2. विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारियों तथा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय । जिन समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा संभव न हो, को संबंधित विभागाध्यक्षों को संदर्भित कर दिया जाय ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उन्हें संदर्भित की गयी मांगों पर तथा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें प्रत्येक माह की 05 तारीख को आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय । ऐसी मांगें, जिनका निराकरण उनके द्वारा संभव न हो सके, उनको संबंधित प्रशासनिक विभागों को संदर्भित कर दिया जाय ।
4. प्रदेश स्तर के सेवा संगठनों की मांगों/ समस्याओं तथा विभागाध्यक्षों द्वारा संदर्भित की गयी मांगों के संबंध में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव-गण द्वारा प्रत्येक माह की

http://shasanadesh.up.nic.in

10 तारीख को संबंधित सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आहूत कर, मांगों का निराकरण कराया जाय ।

5. जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर संभव न हो, को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विभागीय सुझावों के साथ कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त उक्त मांगें निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जा सके ।

2. कार्मिक विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी रैण्डम आधार पर विभागों में जाकर बैठकों के होने की पुष्टि भी करेंगें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

**संख्या-2-ई/.एम.2009 )1-का-(4-2019 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त् मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in